Volume-8, No. 1 Feb.-2021, pp. Hin.12-18

पर्यावरण एंव उसका संरक्षण तथा मानवीय मूल्य

डॉ. वीरेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
डी.पी.बी.एस. (पी.जी.) कालिज अनूपशहर बुलन्दशहर उ.प्र. भारत
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ उ.प्र. भारत।

सारांश

पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर के उस वातावरण एवं परिवेश से है जिससे हम घिरे हुए हैं। वातावरण में स्थित सभी जीव एक–दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। कभी–कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ जाती हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है जो जीवधारियों के लिये किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। यह पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण अनेक रूपों में पाया जाता है जैसे– वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इलेक्ट्रानिक प्रदूषण तथा प्लास्टिक प्रदूषण आदि। पर्यावरण संरक्षण न केवल मानव के लिए बल्कि वन्य जीवित प्रणियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर भी जीवन की सम्भावना कम हो जायेगी। इसलिए हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऐसे कदम उठानें चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम प्रयास 1972 में 'स्टाकहोम' सम्मेलन (स्वीडन) में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण की बात करता है। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवधारियों की सुरक्षा हेतु अनेक अधिनियमों का प्रतिपादन किया गया है। भारत ही पहला देश है जिसने वन्य जीवन सुरक्षा हेतु एक्ट बनाया है। वन्य पक्षियों तथा वन्य जानवरों की सुरक्षा हेतु एक्ट 1922, सन् 1927 में उसे पुनः लागू करने का प्रयास किया गया। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई इसके साथ ही राज्यों में इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना हुई।

मुख्य शब्द– पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय मूल्य, क्योटा प्रॉटोकाल

भूमिकाः

पर्यावरण से आशय उस वातावरण से है जिसमें सम्पूर्ण संसार आवरित है, अंग्रेजी में इसको Environment कहा गया यह। Environment शब्द फ्रैंच भाषा से आया है जो कि इस भाव को प्रकट करता है कि घेरा हुआ। पर्यावरण शब्द भी दो श्ब्दों से मिलकर बना है परि और आवरण, परि का अर्थ होता है बाहरी अर्थात् चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। अतः पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर घेरने वाला। अतः किसी जीव के चारों ओर उपस्थित समस्त जैविक तथा अजैविक पदार्थों को पर्यावरण के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है इस प्रकार पर्यावरण का निर्माण जल, वायु, भूमि उसे पारस्परिक सम्बन्ध अन्य वस्तुओं जैसे, जीवों, सम्पत्ति तथा मनुष्य के आपसी सम्बन्धों को मिलाकर हुआ है। मानव इस धरा का सर्वोत्तम जीव है। मनुष्य के पास सोंचने, समझने का साधन मस्तिष्क के रूप में विद्यमान है। क्या ठीक है? क्या ठीक नहीं है? इसकी जानकारी वह रखता है। मानव शरीर को स्वस्थ रखना, रोगों से बचाना एवं रोग होने पर उसका उपचार करना, शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार आहार लेना, अपने तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, मनुष्य की दैनन्दिनी रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव अपने सोच, विचार एवं व्यवहार से अपने पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है।

आधुनिक मानव आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण के दौर में जी रहा है। मानव ने जीवन में नई–नई प्रविधियाँ खोज ली हैं। मानव की आवश्यकताएं दिन–प्रतिदिन बढ रही हैं। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण नहीं कर सकता क्योंकि पर्यावरण की भी अपनी सीमाएं हैं। उसके अपने प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं लेकिन मानव की आवश्यकताएं अनन्त हैं।

प्रकृति में जल, वायु, भूमि, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु आदि में एक संतुलन कायम है और हर प्राणी–मात्र में जीवन के संचार का आधार यही संतुलन है। इस

अमूल्य निधि के संरक्षण का दायित्व भी मानव–समाज पर स्वतः ही आता है। यद्यपि प्राचीनकाल से ही मानव अपने रहने के स्थान एवं परिवेश को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर बनाने का प्रयास करता रहा है, फिर भी आधुनिकीकरण के इस युग में हम सब स्वच्छ एवं तनावमुक्त जीवन जीने के बजाय प्रदूषित वातावरण में जीने पर विवश हैं। यह प्रदूषण चाहे वायु का हो अथवा जल एवं भूमि का हो, हमारे संसाधनों पर आवश्यकता से अधिक दबाव डाल रहा है जिसके लिए जरूरी है कि पर्यावरण संबंधी जागरूकता लाई जाए।

प्रकृति से मनुष्य की छेड़छाड़ अब सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर गयी है। लगता है इसी से प्रकृति कुपित हो रही है और प्रकृतिक प्रकोप बढ रहे हैं। यह प्रकोप कहीं बाढ कहीं सूखा और कहीं भूकम्प के रूप में प्रकट होता है।

वायुमण्डल की ओजोन परत एक छलनी (Funnel) का कार्य भी करती है। वायुमण्डल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण तंरगों को सोख लेता है तथा उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से रोकता है जिस कारण भूतल का तापमान आवश्यकता से अधिक नहीं हो पाता है। वास्तव में वायुमण्डलीय प्रक्रमों तथा मौसम एंव जलवायु के तत्वों ने जीवमण्डल में विभिन्न पौधों तथा जन्तुओं के उद्भव, विकास तथा सम्बर्द्धन को प्रभावित तथा नियमित किया है।

वर्तमान समय में विश्व के सामने सबसे ज्वलंत समस्या भूमण्डलीय ऊष्मन (वैश्विक गर्मी) तथा उससे जनित भूमण्डलीय पर्यावरण परिवर्तन से सम्बन्धित है। इन समस्याओं के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, यथाः वायुमण्डल की रासायनिक संरचना (गैसीय सरंचना, विभिन्न गैसों के प्राकृतिक अनुपात में परिवर्तन) में परिवर्तन, ओजोन क्षरण, तीव्र गति से हरितगृह गैसों (Green House Gases) यथा कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन आक्साइड, का उत्सर्जन, औद्योगीकरण, नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, खासकर वन विनाश आदि। वायुमण्डल की प्राकृतिक रासायनिक संरचना, अर्थात् गैसीय संघटन में यदि प्राकृतिक कारण से कोई परिवर्तन होता है तो प्रकृति उसे आत्मसात् कर लेती है परन्तु यदि मानव जनित कारकों से कोई इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह प्रकृति की सहनशक्ति से अधिक हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान समय में मानव जनित स्रोतों से वायुमण्डल में हरित गैसों का इतनी तेजी से सान्द्रण बढ़ रहा है कि भूमण्डलीय स्तर पर तापमान में वृद्धि की प्रवृति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि एक हेक्टेयर हरा भरा जंगल 18 घंटों में हमको लगभग 600 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रदान करता है और 900 किग्रा0 कार्बन डाई ऑक्साइड को गृहण करता है। यह माना जाता है कि 50 टन भार युक्त वृक्ष 50 वर्ष की आयु तक जीवित रहा तो उसके द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन का मूल्य लाखों में आँका जा सकता है। भूक्षरण, वन सम्पदा की रक्षा, प्रदूषण निवारण और मृदा के पोषण में वृक्ष जो कार्य करते है वह अमूल्य है। पेड़–पौधें विशेष पर्यावरण का निर्माण करते हैं तथा अनेक विनाशकारी परिस्थितियों का सामना करते हैं।

अतः वनों और वृक्षों की उपयोगिता पर्यावरणीय संतुलन संरक्षण व संवर्द्धन की दृष्टि से समझते हुये वनीकरण व वृक्षारोपण कार्यक्रमों को प्रथम वरीयता क्रम में सर्वोपरि बनाना चाहिये, वनों से प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ निरन्तर प्राप्त करते रहने के लिये आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा राज्यवन नीति 1998 के अनुरूप देश व प्रदेश का एक तिहाई भू–भाग वनाच्छादित हो। उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 5.86 प्रतिशत तथा गैर वन भूमि में वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 3.4 प्रतिशत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 33 प्रतिशत भू–भाग में वनावरण के सापेक्ष मात्र 9.26 प्रतिशत भू–भाग में ही वनावरण व वृक्षारोपण है।

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य तथा अपनी ऐतिहासिक समृद्धता तथा भौगोलिक उत्कृष्टता के चलते उत्तम प्रदेश के रूप में भारतवर्ष का हृदय होकर उसको प्राणवान करता रहा है। उत्तर प्रदेश की अनुकूल भौगोलिक स्थितियों के चलते ही आज इस प्रदेश की अत्यधिक सघनता हो गई है। उत्तर प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियों ने यहाँ लोगों को निवास के लिये आकृष्ट किया और परिणाम स्वरूप यह राज्य अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य हो गया। आज इसकी जनसंख्या व भू–क्षेत्र संसार के अनेक समृद्ध राष्ट्रों के बराबर है। जिसके परिणामस्वरूप इसी प्रदेश में पर्यावरणीय समस्यायें भी भारत के अन्य प्रान्तों से अधिक हैं। अत्यधिक औद्योगीकरण के कारण व वाहनों की अधिकता के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके निदान के लिये जरूरी उपाय करना अपरिहार्य है। अतः वृक्षारोपण विभिन्न विधियां जैसे सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, शहरी वानिकी, ग्राम विकास वानिकी आदि अभियान सरकारी तौर पर तो किये जा रहे है। परन्तु प्रत्येक देशवासी को भी पर्यावरण नागरिक के रूप में अपना कर्त्तव्य व धर्म मानकर किये जाने की आवश्यकता है।

आज आवश्यकता है विश्व मंच पर तैयार 'क्योटो प्राटोकॉल' के नियम नीति व शर्तों को मानने की। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव तथा पृथ्वी पर बढ़ते तापमान से चिन्तित सारे विश्व की सरकारों का ध्यान भूमण्डलीय तापवृद्धि की ओर आकृष्ट हुआ और जापान के क्योटो नगर में दिसम्बर 1997 में लगभग 80 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसे 'क्योटो प्रॅाटोकाल' कहते हैं। इसके द्वारा 38 औद्योगिक देशों ने 2008 से 2012 के बीच के मध्य अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 90 के दशक के स्तर से 5.3 प्रतिशत तक कम करने का वादा किया है परन्तु अमेरिका के क्योटो प्रॅाटोकाल को अस्वीकार करने से अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है व वैज्ञानिकों द्वारा की गई घोषणाओं में भी मतैक्य नहीं है। अतः पुनः बड़े राष्ट्रों की स्वार्थपरता की नीति के चलते सम्पूर्ण प्रयास अधर में ही रह गये है। क्योंकि स्वंय अमेरिका अकेले ही विश्व की एक चौथाई कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है।

पर्यावरण संरक्षणः

पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना लेकिन हमारे द्वारा किये गये कई कारणों से हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। ये कारण कुछ इस प्रकार है ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि आदि कारणें से पर्यावरण हमारे लिए चिंता का कारण बन गया है।

पर्यावरण संरक्षण न केवल मानव के लिए बल्कि बन्य जीवित प्रणियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर भी जीवन की सम्भावना कम हो जायेगी। इसलिए हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऐसे कदम उठानें चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे।

पर्यावरण को संरक्षित रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपुर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों का जीवन पूरी तरह से इस पर निर्भर है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य पानी, हवा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन जी रहे हैं। वैसे तो हम भोजन में अनाज, दूध, अंडे एंव सब्जियों के अलावा अन्य चीजों का सेवन करते हैं लकिन ये सभी चीजें जानवरों एंव पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सभी जीव जन्तु पौधों के द्वारा छोडे गये आक्सीजन के कारण ही जीवित हैं। इसीलिए हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व बना रहे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्वस्तरीय प्रयास :

पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की ज्वलन्त समस्या है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त राष्ट्र इसे गम्भीरता से ले रहे हैं, विश्वव्यापी स्तर पर इसके निदान के लिये चिन्तित भी हैं और एकजुटता के साथ परस्पर सन्धियाँ भी कर रहें हैं। विकसित एवं विकासशील राष्ट्र रचनात्मकता से इसका हल ढूँढ़ने के लिये विश्वमंच पर एक स्वर में तत्पर है। विकास और औद्योगिकी के इस तारतम्य में जीवन को पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से देखने की आवश्यकता आज सर्वोपरि है जिसके लिये सम्पूर्ण पृथ्वी तथा जीव जगत के हितार्थ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा मानवीय विचारों को अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, विधियों, सम्मेलनों एवं विज्ञान से जोड़ने का सफल प्रयास करने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम प्रयास 1972 में 'स्टाकहोम' सम्मेलन (स्वीडन) (5 जून से 16 जून, 1972 ई0) में हुआ, सम्मेलन में हमारी ''एक मात्र पृथ्वी' का नारा दिया गया। दिसम्बर 1980 में भारत सरकार ने भी केन्द्र में एक पर्यावरण विभाग खोला हे। हमारे देश की बहुत राज्य सरकारों ने भी विज्ञान और पर्यावरण विभागों की स्थापना की है तभी सम्पूर्ण पृथ्वी पर 5 जून को 'पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाते हैं।

इस घोर समस्या को समझते हुये राष्ट्रों की चिन्तायें बढ़ी तथा पुनः यनेस्कों यू0एन0ई0पी0 के सहयोग से सन् 1975 ई0 में एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 से 22 अक्टूबर 1975 ई0 में बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यगोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसका मुख्य विषय था कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिये सभी का शिक्षित होना अनिवार्य है और इस गंभीर समस्या को सबको समझना चाहिये। 'पृथ्वी बचाओं' के आर्न्तनाद के साथ यह स्वर गूँजा और प्रत्येक आयुवर्ग के पाठ्यक्रम में इसे आवश्यक घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात तो पर्यावरण संरक्षण व सम्बर्द्धन के लिये कार्यक्रमों की झड़ी लग गई। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैंः—

1. (1979) प्रथम 'विश्व जलवायु सम्मेलन' 1979 जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में आयोजित।
2. (1980) विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1980 में वियना में 'औद्योगिक कारणों से घटित जलवायु' विषय पर आयोजित संगोष्ठी।
3. (1985) ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में आयोजित वियना कन्वेंशन (आस्ट्रिया)।
4. (1987) ओजोन परत की अल्पता को रोकने के लिए ओजोन परत को क्षीण करने वाले क्लोरोफ्लूरोकार्बन के उत्पादन एवं उपभोग में कटौती के लिए कनाडा में मॉण्ट्रियाल नगर में 'मॉण्ट्रियाल प्रोटोकॉल' (समझौते) पर सहमति।

5. (1992) में ब्राजील के रियो–दि–जेनेरिया (रियों) नगर में 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन' जिसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से अधिक जाना जाता है, का आयोजन किया गया, जिसमें 154 देशों ने भाग लिया तथा जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया।
6. (1997) 23–27 जून, 1997 को 'संयुक्त राष्ट्र द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन' का आयोजन न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में किया गया जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य 1992 में रियो दि जेनेरियो में सम्पन्न प्रथम सम्मेलन में निर्धारित एजेण्डा 21 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना था।
7. (2004) संयुक्त राष्ट्र संघ के 'फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेन्ज' की 10वीं सभा का, जिसे 'टेन्थ कानफेरन्स ऑव पार्टीज' (COP-10) के नाम से जाना जाता है, का अर्जेंटीना के ब्यूनसआयर्स में 6 से 17 दिसम्बर 2004 को आयोजन किया गया।
8. जून 2007 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम, 'पिघलती बर्फ' एक ज्वलंत मुद्दा रखी गई थी। चूकि, विश्व मौसम संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद् द्वारा यह वर्ष 'अन्तर्राष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष' के रूप में मानाया गया।

क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 2002 में प्रारम्भ होना था तथा समझौते के अनुसार यह तभी लागू हो सकता है जब 55 विकसित राष्ट्र जो कुल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का 55 प्रतिशत के लिये उत्तरदायी है। इसका अनुमोदन करें। अमेरिका ने अनुमोदन करने से मना कर दिया है। ज्ञातव्य हो कि विश्व के जिसमें विकसित राष्ट्रों की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन योगदान 44.2 प्रतिशत है। 55 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अभी भी अमेरिका तथा रूस का अनुमोदन आवश्यक है। जलवायु प्रभाव में वानिकी की भूमिका के योगदान के कारण यह एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण की बात करता है। मराकेश समझौते ने स्पष्ट रूप से वनीकरण व पुनर्वनीकरण को परिभाषित किया तथा इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये एक 15 सदस्यीय स्वच्छ क्रियाविधि कार्यकारी परिषद की भी स्थापना की।

पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में किये गये प्रयासः

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सम्बन्धी निर्णयों को लागू करने के लिये स्टाकहोम (स्वीडन) सम्मेलन 1972 के बाद भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कानून व अध्यादेश 'पर्यावरण संरक्षण' के लिये बनाये गये यहाँ तक कि भारतीय संविधान के 42वें अनुच्छेद (1976) में संशोधन करके एक नया अध्याय 'पर्यावरण संरक्षण' का नागरिकों के मूल कर्त्तव्य के रूप में जोड़ा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करें।

भारत का संविधान 48ए अनुच्छेद सरकार पर्यावरण के संरक्षण व सुधार तथा देश के वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास करेगी। भारत का संविधान अनुच्छेद 51ए (9) ''यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करें, जिसमें वन, झीलें नदी व वन्य जीव सम्मिलित है तथा प्रत्येक जीवधारी के प्रति संहानुभूति रखे''।

भारत सरकार ने सन् 1980 में स्वतंत्र रूप से एक पर्यावरण विभाग की स्थापना की और 1980 में ही 'वन संरक्षण अधिनियम'' बनाया। 1981 में वायु प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम लागू किया गया और 1986 में पर्यावरण संरक्षणों के सुधार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका क्षेत्र विकसित है तथा इसे क्रियान्वित करने हेतु कठोरता पूर्वक लागू करने के निर्देशन है। समय–समय पर प्रदूषण नियन्त्रण हेतु इनमें संशोधन होते रहे हैं। पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करने तथा उनसे सम्बन्धित विषयों को उपबन्धित करने हेतु 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (23 मई, 1986) को चार अध्यायों तथा 6 धाराओं में विभाजित किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम 1939 का संशोधन करके (1988) में उसमें प्रदूषण सम्बन्धी प्रावधान किया गया, जिसे संशोधित अधिनियम के रूप में 1 मई 1990 से लागू किया गया है। मई 1989 में हुये राज्यों के वनमंत्रियों के सम्मेलन में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में संशोधन कर वनों के संरक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया गया। हिमालय तथा आसपास के क्षेत्र की हरियाली के विध्वंस को रोकने के लिये अनुमानतः 300 करोड़ रूपये व्यय होगें। पवित्र नदियाँ की स्वच्छता हेतु कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें गंगा की निर्मलता हेतु संचालित कार्यक्रम में 278.62 करोड़ रूपयों की स्वीकृति की गई और उत्तर प्रदेश बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में यह कार्य युद्ध स्तर पर सम्पन्न कराया जा रहा है।

हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवधारियों की सुरक्षा हेतु अनेक अधिनियमों का प्रतिपादन किया गया है। भारत ही पहला देश है जिसने वन्य जीवन सुरक्षा हेतु एक्ट बनाया है। वन्य पक्षियों तथा वन्य जानवरों की सुरक्षा हेतु एक्ट 1922, सन् 1927 में उसे पुनः लागू करने का प्रयास किया गया। भारतीय

वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई इसके साथ ही राज्यों में इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना हुई।

पर्यावरण संरक्षण का प्रयास सरकार तथा संविधान तथा राज्य सरकारें व जिला स्तरों पर उनका पालन करवाया जा रहा है। पर्यावरण में वाहनों की अधिकता से उत्सर्जित कार्बनडाईऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिये एल0पी0जी0 तथा सी0एन0जी0 गैसों से चालित वाहनों को बाध्य कर दिया गया है। परन्तु तब भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। उसके लिये पूरे तौर से सभी वाहनों का संचालन इन्हीं धुँये रहित तथा सीसा रहित ईंधन से अनिवार्य रूप से संचालित करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण संरक्षण और संवर्द्धन की दिशा में न्यायपालिका जैसे पवित्र प्रमुख संस्था भी जिसका विस्तार सारे देश में है प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु क्रियाशील है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर कार्य पालिका के विभाग समस्याओं पर कठोर नियंत्रण एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु कार्यरत हैं परन्तु फिर भी जितने निश्चित सकारात्मक परिणाम मिलने चाहिये थे वे नहीं मिल पा रहे हैं। आवश्यकता है एक ऐसे ईमानदार राष्ट्र भक्त और कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की जो इस विषय की गहराई को समझ स्वेच्छा से पर्यावरण संरक्षण के लिये अपनी अपनी कार्यपरिधि में कर्मठता से कटिबद्ध हों तो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। अन्यथा लचर व्यवस्था से यह कार्य संभव नहीं हो पायेगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए सुझावः

1. सर्वप्रथम उपाय के द्वारा पर्यावरण संरक्षण बहुमुखी होगा। जिसमें वृक्षों द्वारा उत्सर्जित प्राणवायु ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण से मरू भूमि सुधार, जल आपूर्ति मृदारक्षण, पर्याप्त खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति तथा पारिस्थितिकि में सामंजस्य स्थापित होकर सुरम्य प्रकृति के लाभ शुद्ध वायु तथा शुद्ध जल की प्राप्ति होगी।
2. वानिकी की विभिन्न विधियों के प्रयोग से ईंधन की आपूर्ति स्थानीय, ग्रामीण तथा सामुदायिक स्तर पर होने से वनक्षरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा स्थानीय कृषक वृक्षों द्वारा प्राप्त आय से अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाते हुये स्वस्थ्य, मुखी व स्वच्छ जीवन जी सकेंगे।
3. राज्यों द्वारा यह आवश्यक हो कि प्रत्येक कृषक को कृषि भूमि पर इतने क्षेत्रफल में इतने वृक्ष लगाने ही है। अन्यथा उस पर जुर्माना लगाया जाय। यह व्यवस्था तो बीमा योजना के समान सुखद होगी कि जिसे शुरू करने में तो मनुष्य अनमना होगा, परन्तु बाध्य होने पर उसके परिणाम से प्रसन्न होगा।
4. विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय परिसर में तथा न भूमि हो तो अपने आस–पास जहाँ भी खाली भूमि हो उसमें वृक्ष रोपकर पोषित करने व नित्य उसके पोषण तथा विकसित करने व नित्य उसके पोषण तथा विकसित वृक्ष तक पल्लवित होने की रिपोर्ट के अनुसार प्रयोगात्मक विधि में मूल्यांकन किया जाये।
5. देश भर में जहाँ पर भी नई सड़कें बन रही हों, साथ ही वृक्षारोपण का ठेका भी दिया जाना चाहिये, जिससे कि समय के साथ–साथ वृक्षारोपण पोषित होगा इसके लिये बेरोजगारों को जिम्मेदारी देकर उन्हें वृक्षों के प्रति जानकारी उनकी सेवा और प्राप्त लाभों के विषय में बताकर वृक्षारोपण अभियान को सफल किया जा सकता है।
6. वन नीति के अनुसार प्रत्येक देश की कुल भूमि में 33 प्रतिशत वनावरण होना चाहिए अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर यह कानून बने कि जिस देश के पास इतना वनक्षेत्र नहीं होगा उसे अन्तर्राष्ट्रीय संघ से निष्कासित कर दिया जायेगा और उससे प्रभावित सुविधाओं तथा सहायता से भी वंचित कर दिया जायगा। तो प्रत्येक राष्ट्र की गरिमा का यह प्रश्न बनेगा और जब इसके प्रति प्रयास किये जायेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि सम्पूर्ण पृथ्वी की समस्या एक या दो राष्ट्रों के प्रयास से नहीं सबके प्रयासों से सुलझ पायेगी।
7. पर्यावरण शिक्षा की महत्ता को बढ़ावा देकर प्रत्येक नागरिक को बच्चे–बच्चे को पर्यावरण संरक्षण की भावना से अभिप्रेरित करें।
8. नये उद्योगों की संस्तुति के साथ ही उपचार संयत्र लग रहे हैं इसका अवलोकरन कर सुनिश्चित कर लिया जाय। जिससे पानी या मिट्‌टी में अपशिष्टों की ऐसी निश्चित मात्रा ही जा सके, जो हानिकारक या विषाक्त न हो।
9. अपशिष्टों का पर्याप्त उपचार होने के बाद ही वे बहाये जाये 'नीरी' ने कागज, लुगदी, कपड़ा, रेयान, इस्पात फोटो फिल्म, एंटीबायोटिक्स, शराब, चमड़ा, डेयरी और शकर उद्योग के अपशिटों का विश्लेषण करके उनके उपचार की सस्ती विधियाँ निकाली गई हैं। उनका विधिवत् प्रयोग कराया जाना चाहिए।
10. पानी की लगातार माँग पूरी करने के लिऐ उद्योगों के व्यर्थ जल का बारम्बार प्रयोग करना चाहिए।

11. कृषि पर जोर देकर अत्यधिक संख्या में बरगद के पेड़ लगाये तथा उसके नीचे की भूमि की मिट्टी को अन्य भूमि क्षेत्र में छिड़के यह कीटनाशी तथा उपजाऊ है, वृक्षों पौधों पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम या बिल्कुल ही न करें।
12. डी0डी0टी0 का उपयोग सीमित किया जाय।
13. किसानों को भूमि प्रदूषण के कारणों से अभिगत कराया जाना चाहिये।
14. ध्वनि का स्रोत से नियन्त्रण किया जाना चाहिये जिसमें कुछ अभिकरणों द्वारा ऐसा किया जाता है।
15. ध्वनि को कोलाहल व शोर की स्थिति तक न पहुँचने दिया जाय, आपस में भी निम्न स्वर में ही बोलना चाहिये।
16. वृक्ष, पौधे ध्वनि प्रदूषण को रोकने में मददगार है। अतः वृक्षों को अपने घर के आसपास बहुतायत में लगाना चाहिये।

मानव मूल्यों को प्रोत्साहित कर पर्यावरण की रक्षाः

हर साल जैसे ही पर्यावरण दिवस आता है संसार भर में पर्यारण संरक्षण के लिए और भी कड़े हरित कानून और विनियम बनाने की आवाज तेज हो जाती है। हालांकि कानून महत्वपूर्ण है परंतु वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण को अपनी नैतिक मूल्य पद्धति का भाग बनाने की आवश्यकता है। दुनिया भर की सभी प्राचीन संस्कृतियों ने प्रकृति, पेड़ पौधें, नदियों, पर्वतों और पर्यावरण को सदा से ही महत्व देकर संरक्षित किया है।

भारत में तो काटे जाने वाले प्रत्येक पेड़ के बदले में पांच पेड़ लगाने की परम्परा रही है। जल हमारे सभी महत्वपूर्ण रीति रिवाजों एंव अनुष्ठानों का अभिन्न भाग हैं। नदियों को माता के रूप में और पृथ्वी को देवी के रूप में पूजा जाता था। प्रकृति को पवित्र एंव देवतुल्य मानने की इस परम्परा को आज के आधुनिक युग में भी जीवित रखने जाने की आवश्यकता है। लोगों को जल संरक्षण तथा प्राकृतिक व रसायनमुक्त कृषि के अभिनव तरीके सिखाये जाने की आवश्यकता है। जल निकायों के पुनद्धार, पौधरोपण और शून्य अपशिष्ट की आभिमुख जीवन शैली के लिए समाज विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी के लिए एक तंत्र बनाने की जरूरत है।

वास्तव में मानवीय लोभ एंव पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता प्रदूषण के मूल कारण है। त्वरित और अधिक लाभ का लोभ पर्यावरण के संतुलन को गम्भीर रूप से बाधित करता है और इसमें न सिर्फ भैतिक रूप से वातावरण प्रदूषित होता है बल्कि सूक्ष्म स्तर पर यह नकारात्मक भवनाओं को भी उत्तेजित करता है। हमें मानव मानसिकता पर कार्य करने की आवश्यकता है जो कि सभी प्रकार के प्रदूषण का मूल कारण है।

हमारे दादा–दादी व बड़ों के मुख से अक्सर कहते हुये सुनते थे कि– 'जीवन मूल निरोगी काया' सर्वदा सत्य ही था क्योंकि शरीर स्वस्थ्य है तो मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ्य रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है। क्योंकि 'जैसा खाये अन्न, वैसा बने मन''। परन्तु स्वस्थ्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिन्तन का हमारी सोच, हमारी परम्पराओं का और उन सब परिस्थितियाँ का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित है। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा फैलाई हुई आधुनिक संस्कृति वास्तव में हमारे समाज के लिये तो यह विकृति ही साबित हुई है। जिसने हमें भटकाव की स्थिति में पहुँचाया है। इस संस्कृति ने पश्चिमी देशों को तो अन्दर से खोखला किया ही है अब पूर्व में भी असर फैल रहा है इन प्रासाद–पुंजों में से निकले हुये स्नातकों का मूल्यांकन करने से पता लगेगा कि भवन तो फैल गये है परन्तु मस्तिष्क सिकुड़ गये हैं–

डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था– ''भौतिक सुख पाने के लिये आजकल भीतरी चरित्र की बलि चढ़ा दी गई हैं ''असली शिक्षा वह है जो सम्पूर्ण मानव तैयार करे। ऐसी शिक्षा की जड़ें भारत की पुरानी परिपाटी में हैं''। आज पर्यावरण सुधारने के लिये समग्र दर्शन की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास रोकने की नहीं बल्कि उसके पीछे काम करने वाली दूषित विचारधारा को ही बदलना आवश्यक है। आज शिक्षा का स्तर ऊँचा करके मानव प्रयासों को उपयुक्त दिशा देने की आवश्यकता है तथा संस्कृति को विकृत होने से बचाना चाहिये। इसके लिये एक मात्र उपाय है भारतीय संस्कृति से अभिभूत मानव मूल्यों को स्थापित करने वाली भारतीय शिक्षा की। तेजी से उभरने वाली सभी संस्कृतियों का पतन अवश्यम्भावी है। किन्तु भारतीय संस्कृति– आश्रम संस्कृति–जिसे गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अरण्य संस्कृति कहा है– सभी विरोधो का सामना करके भी बनी रहने वाली शाश्वत संस्कृति है, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य है–

सर्वेभवन्तु सुखिनःसर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्।।

संदर्भ ग्रन्थ सूचि–

1. पर्यावरणीय अध्ययन, ए0बी0 सक्सेना।
2. पय्ग्रवरणीय मनोविज्ञान, डॉ0 रामपाल सिंह, प्रो0 अशोक सेवानी एवं डॉ0 वी0पी0 अग्रवाला।

3. पर्यावरण शिक्षा, डॉ0 राधा वल्लभ उपाध्यक्ष।
4. पर्यावरण शिक्षण, जै श्री। दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था
5. मिश्र, डॉ कैलाश– ''उत्तरांचल एक परिचय''
6. गौतम, डॉ अल्का– ''विश्व भूगोल'' Uttaranchal Genearal knowledge – Dr. C.L Khanna
7. Pandey, G.C, 1980 – "Afrarian Scenario of Kumaun, in kumaun. Land people, Ed, Valdiya, Nainital.
8. Chaudhri, D.P " ACrucial input in Indian "Agricultural development", Social change, 1991, pp. 13-18.
9. Sen, A.K. Choice of Technique, An aspect of the theory of plan economic development, 1985.
10. BPR Technologia A. Journal of Science, Technology and Management. Kant shive & Sharma Yogesh ISSN2278-8-8387 vol-2(1) 2013.
11. IOSR Journal of Humanitiee and social science (IOSR-JHSS) volume 19. Issue-3 ver-II (March 2014) pp-30-34, ISSN 2279-0837, PISSN 2279-0845 Ghosh Kumud Asst. Pro. Education Department Nakachari college Nakachari Jorhat Assam.
12. International Journal of Humanities and social science inventia ISSN (on line) 2319-7722 ISSN Print 2819-77 14 vol-2 issue 8- Agust 2013 pp-11-15 M. Sivamoorthy, R. Nalini, C. Sathesh Kumar, Pondichery University Pandichery
13. Nagar geetika (2011) : Environmental Psychology pp 233-235, 246
14. Altman 1 (1975): Environemtal and social